

क्रमांक: प.1(4)वित्त/साविलेनि/2006

जयपुर, दिनांक: 20-09-2021

विभागाध्यक्ष
समस्त।

विषय:— टेलीफोन बिलों के पुनर्भरण की ऑटोमेशन प्रक्रिया के संबंध में।

संदर्भ:— इस विभाग का परिपत्र क्रमांक F.1(1) FD/ GF&AR/ 2006 दिनांक 12.08.2021 एवं पत्र क्रमांक प.1(4)वित्त/साविलेनि/2006 17.08.2021


महोदय,

इस विभाग के संदर्भित परिपत्र के अनुसार टेलीफोन एवं पत्र-पत्रिकाओं के पुनर्भरण की ऑटोमेशन प्रक्रिया दिनांक 01.09.2021 से लागू की जा चुकी है। इस हेतु पुनः समस्त विभागों के लिए निम्नानुसार Virtual प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है :-

S.No.	Office Name	Particulars	Date & Time of virtual Training	link for virtual training
1.	All HODs	All FA/CAO of Departments	27.09.2021 At 11.30 A.M.	Link will be provided on FA's e-mail separately

अतः उक्त ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी संबंधित अधिकारियों/मास्टर ट्रेनर्स को उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें।


भवदीय



(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (बजट)।
3. वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी समस्त विभागों को अपने अधीनस्थ कार्मिकों को उक्त प्रक्रिया से अवगत करवाने हेतु।
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., शासन सचिवालय, जयपुर।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. वित्त भवन, जयपुर को Virtual Training आयोजित करवाने हेतु।
6. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को वित्त विभाग की साइट पर अपलोड करने हेतु।


मुख्य लेखाधिकारी